न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 83/ 2016 जिला सीकर

भंवर लाल रणवा पुत्र जैसा राम रणवा, जाति जाट, निवासी बूच्यासी, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. नेमीचन्द पुत्र भगवान सहाय, जाति कुमावत, निवासी नांगल तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।
2. बक्सीराम पुत्र कजोडमल
3. नोपाराम पुत्र रामेश्वर
   जाति कुमावत, निवासी नांगल तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।
4. पटवारी हल्का बाय, तहसील दांतारामगढ, , जिला सीकर ।
5. तहसीलदार दांतारामगढ, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।
6. उप पंजीयक दांतारामगढ, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।
7. विनोद कुमार शर्मा पुत्र सूरजमल शर्मा, ग्रम बाय, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर
दिनांक 8.1.2014

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री ज्ञानेश्वर बाढदार
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री देवकरण /प्रेम प्रकाश राठौड

निर्णय

दिनांक –20.11.2018

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ , जिला सीकर के निर्णय दिनांक 8.1.2014 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 17.6.2014 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि रेस्पोंडेन्ट नेमीचन्द पुत्र भगवान सहाय कुमावत , निवासी नांगल , तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ने न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर को एक दावा बाबत पत्थरगढी व स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ दिनांक 4.5.2012 को प्रस्तुत किया कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे व प्रतिवादीगण संख्या 1,6,4 व 5 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि ग्रम बाय के भूमि खसरा नम्बर 1611/1 व 1610/2 की मध्य सीमा का निर्धारण जरिये सीमाज्ञान व पत्थरगढी विधिवत नहीं हो जाता तब तक मौके पर प्रतिवादी संख्या 1, 6 स्वयं निर्माण न करें, न नौकर , एजेन्ट से करावे न सहायोग प्रदान करें तथा खसरा नम्बर 1611/1 व खसरा नम्बर 1610/2 की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे ।

उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने रेस्पोंडेन्ट के उक्त वाद में अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.1.2014 पारित किया कि "ग्रम बाय की जमाबन्दी संवत 2066–69 के अवलोकन से जाहिर है कि खसरा नम्बर 1611/1 रकबा 0.09

हैक्टेयर की खातेदारी वादी हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 3 हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है जिसकी सीमाज्ञान पटवारी हल्का, बाय दिनांक 15.6.2012 मय भू प्रबन्ध टीम द्वारा करवाया गया है । वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब व बहस में अपनी स्वामित्व शुदा भूमि खसरा नम्बर 1610/2 के पश्चिमी सीमा के एडजोईनिंग में वादी के राजस्व रिकार्ड की भूमि खसरा नम्बर 1611/1 रकबा 0.09 हैक्टेयर अस्तित्व में है, लेकिन नक्शा ट्रेस में अस्तित्व में नहीं है , कथन किया है जिसके लिए नक्शा ट्रेस में वादी द्वारा आवेदित पत्थरगढी हेतु नवीन नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की है जिसमें विवादित खसरा नम्बर 1610/2 एवं खसरा नम्बर 1611/1 का अंकन है । वकील प्रतिवादी का यह कथन कि प्रकरण सिविल नेचर का है । प्रकरण पत्थरगढी किये जाने का है, जो सुनने का अधिकार इस न्यायालय को ही है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर सीमाज्ञान दिनांक 15.6.2012 के अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को अधिकृत किया जाता है । तहसीलदार दांतारामगढ नियमानुसार प्रार्थी/वादी की आवेदित भूमि पर अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदि नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढी की जावे'' ।

उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के उक्त निर्णय दिनांक 8.1.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट भंवर लाल रणवा द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.1.2014 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तओं की बहस सुनी गई ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट भंवर लाल का वाद निषेधाज्ञा एवं पत्थरगढी सर्वथा विरोधाभासी था, क्योंकि पत्थरगढी का वाद दायर नहीं होता , केवल भू राजस्व अधिनियम के तहत आवेदन दिया जाता है तथा निषेधाज्ञा का वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत होता है , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पहलू पर गौर नहीं किया । अपीलान्ट अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1610/2 रकबा 0.22 हैक्टेयर का रूपान्तरण कराकर भूमि पर पुख्ता डन्डा व मकानात का निर्माण कर रखा है । रेस्पोंडेन्ट की किसी भी भूमि में कोई दखल नहीं की है । उनका कहना था कि यदि अधीनस्थ न्यायालय खसरा नम्बर 1611/1 व 1610/2 के बीच की सीमा का विवाद मानता था तो दोनों खसरा नम्बर की पत्थरगढी कराने का आदेश देना आवश्यक था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट को नाजायज लाभ पहुँचाने की गरज से खसरा नम्बर 1611/1 की सीमा के लिए ही पत्थरगढी कराने का आदेश पारित किया है , जो सरासर गलत है । उनका कहना था कि भूमि का रूपान्तरण हो चुका है ओर अब भूमि कृषि नहीं रही है बल्कि आबादी व वाणिज्यिक उपयोग में दर्ज होने से उस पर भू राजस्व अधिनियम एवं काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं होते । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा दावा दायर करने के दिन राजस्व अभिलेख के नक्शे में खसरा नम्बर 1611 ही दर्ज था । खसरा नम्बर 1611/1 व 1611/2 नक्शे में

विभाजित नहीं थे । राजस्व रिकार्ड के नक्शे में खसरा नम्बर 1611/1 की सीमाये ही दर्ज नहीं थी तो उसकी पत्थरगढी भी नहीं की जा सकती थी , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड की अनदेखी करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक नहीं है । अतः धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा किया जावे तथा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर दिनांक 8.1.2014 निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि नेमीचन्द , बक्सीराम एवं नोपाराम कुमावतों की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1611/1 रकबा 0.09 हैक्टेयर जिसकी पूर्वी साईड के खसरा नम्बर 1610/2 रकबा 0.22 हैक्टेयर के खातेदार ने खसरा नम्बर 1611/1 की पूर्वी साईड की तरफ निर्माण प्रारम्भ कर अतिक्रमण करने की कुचेष्टा की गई एवं दिनांक 10.4.2012 को गॉव के मौजिज व्यक्तियों को इकठ्ठा करने पर निर्मित डन्डे को हटाया गया । उनका कहना था कि तहसीलदार दांतारामगढ के आदेश दिनांक 13.4.2012 की अनुपालना में सीमाज्ञान कर पटवारी हल्का बाय द्वारा मौके पर जाकर अपीलान्ट भंवर लाल को उसकी खसरा नम्बर 1610/2 की पश्चिमी सीमा बताई गई, जो मौके पर दिनांक 10.4.2012 को अपीलान्ट भंवर लाल द्वारा फोडे गये डन्डे के पूर्वी साईड में 5 फीट छोडने के बाद है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट का दावा बाबत पत्थरगढी पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.1.2014 द्वारा दावा स्वीकार किया जाकर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.6.2012 के अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को अधिकृत किया गया है तथा निर्देशित किया है कि तहसीलदार दांतारामगढ नियमानुसार प्रार्थी/वादी की आवेदित भूमि पर अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदि नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढी की जावे, उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय
जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये तथा अपीलान्ट के धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 का दावा बाबत पत्थरगढी पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.1.2014 पारित किया कि खसरा नम्बर 1611/1 रकबा 0.09 हैक्टेयर की खातेदारी वादी हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 3 हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड होने से उसका सीमाज्ञान पटवारी हल्का, बाय द्वारा दिनांक 15.6.2012 को मय भू प्रबन्ध टीम से करवाया गया । प्रकरण पत्थरगढी किये जाने का होने से उसे सुनने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को ही होने से वादी का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर सीमाज्ञान दिनांक 15.6.2012 के अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ

जिला सीकर को अधिकृत किया गया एवं निर्देशित किया गया कि तहसीलदार दांतारामगढ नियमानुसार प्रार्थी/वादी की आवेदित भूमि पर अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदि नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढी की जावे ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.6.2012 में अपीलार्थी एवं रेस्पोंडेन्ट्स के हस्ताक्षर है एवं इसे अपीलान्ट द्वारा चुनौती नहीं दी है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.1.2014 द्वारा सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.6.2012 के अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को अधिकृत किया गया है तथा निर्देशित किया है कि तहसीलदार दांतारामगढ नियमानुसार प्रार्थी/वादी की आवेदित भूमि पर अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदि नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढी की जावे । ऐसी स्थिति में हम अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 20.11.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर